राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः ई–11/नर्सिंग/एएच डब्ल्यू/17/ दिनांक–

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
2. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
3. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ,राजस्थान।

विषयः सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएचडब्ल्यू) से मेल नर्स–2 के पद पर पदौन्नत कार्मिकों की सूचना भिजवाने बाबत।

संदर्भ:–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग का बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.15(1)चिस्वा/ग्रुप–3/2017 दिनांक 14.02.17।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएचडब्ल्यू) से मेल नर्स–2 के पद पर पदौन्नत कार्मिकों को संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला देने के सबंध में पारित निर्णयों/आदेशों के विरूद्व अपील/नो अपील हेतु गठित प्री–लिटिगेशन/स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.02.2017 में नो अपील का निर्णय लेते हुये जिन समान प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है,जिनकी पालना शेष है, की सूचना सबंधित अधिकारियों से प्राप्त कर वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.02.17 में लिये गये निर्णय की पालना में आपके अधीन कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत एएचडब्ल्यू जिन्हें राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 03.06.82 के तहत नर्स–2 के पद पर समायोजित किया गया है, जिन्होने किसी भी माननीय न्यायालय से श्री देवीसिंह स्वर्णकार, श्री भुवनेश्वर पाल, श्री दुर्गासिंह चौहान अथवा अन्य किसी प्रकरण में पारित निर्णय के अनुरूप निर्णय प्राप्त किया है, उन्हें 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान 7500–12000 स्वीकृत नहीं किया गया है, की सूचना मय सम्पूर्ण विवरण एवं वित्तीय भार सहित सबंधित लेखाधिकारी से प्रमाणित कराकर भिजवाये ताकि अनावश्यक न्यायिक विवादों से बचा जा सकें।

अतः उक्त वांछित सूचना निदेशालय को दिनांक 01.10.17 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें अथवा विलम्ब के लिये आप व्यक्गित जिम्मेवार होगे।

–sd–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः ई–11/नर्सिंग/एएच डब्ल्यू/17/752 दिनांक–26/09/2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय बेबसाइट पर व पत्र में वर्णित समस्त नियंत्रण प्राधिकारियों की ई.मेल आई.डी. पर अपलोड करें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।